संख्या-53/2020/3331/71-2-20-के0जी0एम0यू0-02/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 अगस्त, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0 के आर0ए0एल0सी0 भवन में कोविड वार्ड (300 बेड) बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यों की पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 5279/योजना अनु0/2020, दिनांक 17-08-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 के आर0ए0एल0सी0 भवन में कोविड वार्ड (200 बेड) का विस्तार करते हुए कोविड वार्ड (300 बेड) निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्यों की प्रायोजना की पुनरीक्षित आगणन रू0 624.50 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-47/2020/2092/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-02/2020, दिनांक 18 जुलाई, 2020 द्वारा के0जी0एम0यू0 के आर0ए0एल0सी0 भवन में कोविड वार्ड (200 बेड) निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 392.36 लाख (रू0 तीन करोड बानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष धनराशि रू0 196.18 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0 के कोविड वार्ड (200 बेड) का विस्तार करते हुए कोविड वार्ड (300 बेड) निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्यों की प्रायोजना की प्रस्तावित पुनरीक्षित आगणन/लागत के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 613.49 लाख (रू0 छः सौ तेरह लाख उन्चास हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष धनराशि रू0 110.565 लाख (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 90.665 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से 19.90 लाख) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
2) विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
3) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लेकेसी) रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है और न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।

4) पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-04-2020 एवं 11-04-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5) विश्वविद्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

7) प्रश्नगत प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग वर्ष 2018 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों एवं डी0एस0आर0 2018 की दरों पर गठित किया गया है, जो दरें इन दरों में उपलब्ध नहीं है उन दरों को बाजार/कोटेशन दरों पर प्रावधान किया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है।

8) प्रायोजनान्तर्गत रेनोवेशन एवं री-मांडलिंग का कार्य प्रस्तावित है। अतः निर्माण उपरान्त प्राप्त होने वाली पुरानी सामग्री का ह्रासित मूल्य निर्धारित कर राजकोष को धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय का होगा।

9) पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का प्रयोग इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रायोजना के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

12) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय का होगा।

13) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

14) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

15) प्रश्नगत प्रायोजना यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

16) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3/761/2020, दिनांक 27 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-53 /2020/3331(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।